न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 27/2022

उनवान :

1. राजेश पुत्र छबीलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. छबीलाराम पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी सवाईछानी त0 भादरा।
2. बाला देवी पुत्री छबीलाराम पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल भांवरा तहसील राजगढ जिला चुरू।
3. शीला पुत्री छबीलाराम पत्नी दिनेश जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल भांवरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4. सुमन पुत्री छबीलाराम पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल चक 16 तहसील नोहर।
5. विनोद पुत्री छबीलाराम पत्नी मुकेश जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल गुडिया तहसील चौपटा जिला सिरसा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादी**

वकील श्री प्रभूराम गोदारा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 26.04.22**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 13/166 के मु0नं0 112 के किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 113 की 1 ता 25, मु0नं0 114 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 16, 17/1, 25, मु0नं0 119 के किला नं0 6, 15, 16, 25, मु0 नं0 120 के किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0नं0 121 के किला नं0 5/1, 5/2, 6, 15, 16, 25 मु0नं0 122 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, मु0नं0 123 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, मु0नं0 124 के किला नं0 1/1, 1/2, 10, 11/1, कुल रकबा 32.3450है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में जिसमें 32.1890है0 बारानी, 0.1560है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड मे है जिसमे प्रतिवादी सं0 1 छबीलाराम के नाम 1348/32345 हिस्सा व चक 6 जेएसएल के

Scanned with CamScanner

सं0 126/40 के मु0नं0 4 के किला नं0 5 ता 6, 15, 16, मु0नं0 5 के किला नं0 9 ता 25, मु0नं0 6 के किला नं0 11, 19 ता 24, 25/1, 25/2, मु0नं0 24 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 7/1, 7/2, 8 ता 13, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17 ता 25, मु0नं0 25 के किला नं0 2/1, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 12 ता 19, 25 मु0नं0 37 के किला नं0 5, 6, मु0नं0 38 के किला नं0 1 ता 5 कुल रकबा 19.2280 है0 जिसमें बारानी 1.012 है0 नहरी 17.927है0, गै0मु0 रास्ता 0.089है0, गै0मु0 खाला 0.200है0, खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमे प्रतिवादी सं0 1 छबीलाराम के नाम 73/1748 हिस्सा राजस्व में खातेदरी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता काशीराम की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 छबीलाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीका जन्म से हक एव अधिकार निहित है। वादी अपनी बटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एव प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में राजेश पुत्र श्री छबीलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी त0 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी 4 जेएसएल के खाता संख्या 13/166 प्रदर्श 1, जमाबंदी 6 जेएसएल खाता संख्या 126/40 प्रदर्श 2, असल शपथ पत्र राजबाला प्रदर्श 3, असल वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, जमाबंदी पैतृक कृषि भूमि 6 जेएसएल खाता स0 14/14 प्रदर्श 5, जमाबंदी पैतृक कृषि भूमि 4 जेएसएल खाता स0 126/123 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हको पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे वादी ने 4 जेएसएल व 6 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज भूमि मे अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि मे जो

Scanned with CamScanner

...प्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में एक पुत्र राजेश व चार पुत्रीया राजबाला, शीला, विनोद व सुमन के अलावा वारिस प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 13/166 के मु0नं0 112 के किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 113 की 1 ता 25, मु0नं0 114 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 16, 17/1, 25, मु0नं0 119 के किला नं0 6, 15, 16, 25, मु0 नं0 120 के किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0नं0 121 के किला नं0 5/1, 5/2, 6, 15, 16, 25 मु0नं0 122 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, मु0नं0 123 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, मु0नं0 124 के किला नं0 1/1, 1/2, 10, 11/1, कुल रकबा 32.3450है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि मे जिसमे 32.1890है0 बारानी, 0.1560है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड मे है जिसमे प्रतिवादी स0 1 छबीलाराम के नाम 1348/32345 हिस्सा व चक 6 जेएसएल के खाता स0 126/40 के मु0न0 4 के किला नं0 5 ता 6, 15, 16, मु0नं0 5 के किला नं0 1, 9 ता 25, मु0नं0 6 के किला नं0 11, 19 ता 24, 25/1, 25/2, मु0नं0 24 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 7/1, 7/2, 8 ता 13, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17 ता 25, मु0नं0 25 के किला नं0 2/1, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 12 ता 19, 25 मु0नं0 37 के किला नं0 5, 6, मु0नं0 38 के किला नं0 1 ता 5 कुल रकबा 19.2280 है0 जिसमें बारानी 1.012 है0, नहरी 17.927है0, गै0मु0 रास्ता 0.089है0, गै0मु0 खाला 0.200है0, खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमे प्रतिवादी सं0 1 छबीलाराम के नाम 73/1748 हिस्सा राजस्व में खातेदरी दर्ज मे से वादी, प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 13/166 के मु0नं0 112 के किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 113 की 1 ता 25, मु0नं0 114 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 16, 17/1, 25, मु0नं0 119 के किला नं0 6, 15, 16, 25, मु0 नं0 120 के किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0नं0 121 के किला नं0 5/1, 5/2, 6, 15, 16, 25 मु0नं0 122 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, मु0नं0 123 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, मु0नं0 124 के किला नं0 1/1, 1/2, 10, 11/1, कुल रकबा 32.3450है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में जिसमें 32.1890है0 बारानी, 0.1560है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 छबीलाराम के नाम 1348/32345 हिस्सा व चक 6 जेएसएल के खाता सं0 126/40 के मु0नं0 4 के किला नं0 5 ता 6, 15, 16, मु0नं0 5 के किला नं0 1, 9 ता 25, मु0नं0 6 के किला नं0 11, 19 ता 24, 25/1, 25/2, मु0नं0 24 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 7/1, 7/2, 8 ता 13, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17 ता 25, मु0नं0 25 के किला नं0 2/1, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 12 ता 19, 25 मु0नं0 37 के किला नं0 5, 6, मु0नं0 38 के

Scanned with CamScanner

फला नं0 1 ता 5 कुल रकबा 19.2280 है0 जिसमें बारानी 1.012 है0, नहरी 17.927है0, गै0मु0 रास्ता 0.089है0, गै0मु0 खाला 0.200है0, खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 छबीलाराम के नाम 73/1748 हिस्सा राजस्व में खातेदरी दर्ज है उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 छबीलाराम अकेले के बजाय वादी राजेश व प्रतिवादी सं0 1 छबीलाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner